"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2015—आश्विन 24, शक 1937

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्रीमती ऋचा शर्मा (भा.प्र.से.-1994) को अवकाश समाप्ति पश्चात् अपनी उपस्थिति देने पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

श्रीमती ऋचा शर्मा द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री अजय सिंह, (भा.प्र.से.-1983) अपर मुख्य सचिव, कृषि एवं कृषि उत्पादन आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग केवल अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

2. श्री अविनाश चंपावत,(भा.प्र.से.-2003), संचालक, उद्यानिकी एवं पदेन संयुक्त सचिव, कृषि विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

श्री अविनाश चंपावत द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री प्रताप सिंह (भा.प्र.से.-1982), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं के प्रभार से मुक्त होंगे. उनकी सेवायें वन विभाग को लौटायी जाती है तथा वे कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, रायपुर के लिए कार्यमुक्त होंगे.

3. श्री रवि प्रकाश गुप्ता, (भा.प्र.से.-2007), नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2015

क्रमांक 600/624/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 11-05-2015 से 12-06-2015 (31 दिवस) तक एवं 03-08-2015 से 14-08-2015 (12 दिवस) का (दिनांक 02, 15, 16-08-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एल. डी. चोपड़े को अवकाश वेतन, भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2015

क्रमांक 604/4074/अव./2014/1-8/स्था.—सुश्री ज्योति ठाकुर सोरी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 08-06-2015 से 19-06-2015 (12 दिवस) का (दिनांक 20-06-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री ज्योति ठाकुर सोरी आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में सुश्री ज्योति ठाकुर सोरी को अवकाश वेतन, भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ज्योति ठाकुर सोरी अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2015

क्रमांक 606/3253/अव./2004/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजूरकर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 29-06-2015 से 04-07-2015 (06 दिवस) का (दिनांक 05-06-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एन. राजूरकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एन. राजूरकर को अवकाश वेतन, भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एन. राजुरकर अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2015

क्रमांक 634/224/अव./2010/1-8/स्था.—श्री पुनीत कुमार जोशी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 20-07-2015 से 01-08-2015 (13 दिवस) तक का (दिनांक 02-08-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुनीत कुमार जोशी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पुनीत कुमार जोशी को अवकाश वेतन, भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुनीत कुमार जोशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2015

क्रमांक 645/517/अव./2015/1-8/स्था.—श्री दिलीप कुमार ठाकुर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 13-07-2015 से 31-07-2015 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप कुमार ठाकुर आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दिलीप कुमार ठाकुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिलीप कुमार ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्रमांक 679/452/अव./2010/1-8/स्था.—श्री पी. डी. दोहरे, अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग को दिनांक 17-08-2015 से 28-08-2015 तक (12 दिवस) का (शासकीय अवकाश दिनांक 15, 16 एवं 29, 30-08-2015 सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. दोहरे आगामी आदेश तक अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पी. डी. दोहरे को अवकाश वेतन, भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. डी. दोहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्रमांक 681/1113/अव./2006/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 03-08-2015 से 07-08-2015 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय आगामी आदेश तक अवर सचिव, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुनील विजयवर्गीय को अवकाश वेतन, भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुनील विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2015

क्रमांक 685/132/अव./2014/1-8/स्था.—श्री बी. आर. साहू, स्टाफ आफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) को दिनांक 01-08-2015 से 12-08-2015 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. साहू आगामी पदस्थापना आदेश तक स्टाफ आफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ होंगे

3. अवकाश अवधि में श्री बी. आर. साहू को अवकाश वेतन, भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्रमांक 687/945/अव./2011/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 24-08-2015 से 28-08-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 29 एवं 30-08-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वाय. पी. दुपारे को अवकाश वेतन, भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वाय. पी. दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्रमांक 691/3533/अव./2014/1-8/स्था.—श्री ए. एच. युसुफी, लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 15-06-2015 से 17-07-2015 तक 32 दिवस का (दिनांक 18 एवं 19-07-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. एच. युसुफी आगामी आदेश तक लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ए. एच. युसुफी को अवकाश वेतन, भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. एच. युसुफी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्रमांक 695/475/अव./2010/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 31-08-2015 से 04-09-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 29, 30-08-2015 एवं 05, 06-09-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. सी. वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2015

क्रमांक 771/372/अव./2012/1-8/स्था.—श्री मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 27-08-2015 से 04-09-2015 तक 09 दिवस (दिनांक 05 एवं 06-09-2015 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मुकुन्द गजभिये आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मुकुन्द गजभिये को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकुन्द गजभिये अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्रमांक 1-3/02/गृह/आई.पी.एस./2012.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मुकेश गुप्ता (भापुसे-1988), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता एवं ई. ओ. डब्ल्यू. एवं ए. सी. बी. (अतिरिक्त प्रभार) को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता के पद से मुक्त करता है. श्री गुप्ता, पुलिस महानिदेशक, ई.ओ.डब्ल्यू. एवं ए.सी.बी. के पद पर बने रहेंगे.

2. श्री अशोक जुनेजा (भापुसे-1989), विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव, गृह विभाग के अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता के पद पर पदस्थ करता है. श्री जुनेजा, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव गृह विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.

3. श्री अरूण देव गौतम (भापुसे-1992), पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण/भर्ती/रेल्वे एवं यातायात पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान दायित्वों से मुक्त करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. व्ही. आर., सुब्रमणियम, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्रमांक-एफ-3-62/दो-गृह/2008.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल, 2013 द्वारा राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार का गठन किया गया है.

2. अत: उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में श्री आर. सी पटेल, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये सदस्य नियुक्त करता है.

3. शासकीय आवास गृह उपलब्ध नहीं कराया जायेगा.

नया रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ-7-10/2015/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती मिलना कुर्रे, भापुसे (2008), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 07-09-2015 से 26-09-2015 तक (कुल 20 दिवस) अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है, साथ ही दिनांक 05, 06 एवं 27-09-2015 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुर्रे आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती मिलना कुर्रे को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मिलना कुर्रे, भापुसे (2008) अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

5. श्रीमती कुर्रे की अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद का प्रभार श्रीमती नेहा चम्पावत, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015

क्रमांक /एफ-7-31/2014/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री डी. एल. मनहर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (सामान्य लेखा/कल्याण), पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 28-09-2015 से 09-10-2015 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 27-09-2015 एवं 10, 11-10-2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. एल. मनहर आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (सामान्य लेखा/कल्याण), पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मनहर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनहर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री डी. एल. मनहर की अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (सामान्य लेखा/कल्याण), पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद का प्रभार श्री राजेन्द्र दाश, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ-1-51/2013/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती पारूल माथुर, भापुसे (2008) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-05-2015 द्वारा स्वीकृति Child Care Leave के अनुक्रम में दिनांक 02-07-2015 (01 दिवस) के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश काल में श्रीमती पारूल माथुर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने के पूर्व मिलते थे.

3. श्रीमती माथुर की अवकाश अवधि में उनके वेतन/भत्ते अवकाश रक्षित पद के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय, रायपुर द्वारा आहरित किया जाकर भुगतान किया जावेगा.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पारूल माथुर, भापुसे (2008) अवकाश पर नहीं जाती, तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-11/2015/10/भा.व.से.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03-09-2015 द्वारा श्री ए. के. वाहने, भा. व. से. (2000) को वन संरक्षक (कार्य आयोजना) जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर के पद पर पदस्थ किया गया है. राज्य शासन एतद् द्वारा उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री ए. के. वाहने, भा. व. से. (2000) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त यथावत् वन संरक्षक एवं महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-11/2015/10/भा.व.से.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03-09-2015 द्वारा श्री सी. एस. तिवारी, भा. व. से. (1998) को संचालक, वन विद्यालय, जगदलपुर के पद पर पदस्थ किया गया है. राज्य शासन एतद् द्वारा उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सी. एस. तिवारी, भा. व. से. (1998) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप संचालक, हाथी रिजर्व, सरगुजा के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 20-10/2007/ग्यारह/(छ:).—सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा-20 सहपठित धारा-21 एवं सूक्ष्म और लघु मध्यम फेसिलिटेशन नियम, 2006 के नियम-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2015 की अधिसूचना द्वारा सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है.

2. उक्त काउंसिल के सरल क्रमांक-5 पर उल्लेखित श्री सुरेश खाखरिया, रायपुर के उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में उप महाधिवक्ता के पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, लघु उद्योग भारती, रायपुर को सदस्य नियुक्त किया जाता है.

3. अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 10-12/2015/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र.-27, सन् 1960) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित अधिकारियों को क्रमश: श्रम पदाधिकारी एवं उप श्रम पदाधिकारी नियुक्त करता है.

अनु. क्र.	प्रथम अनुसूची	अनु. क्र.	द्वितीय अनुसूची
1.	श्री अनिल कुजूर	1.	श्री डी. के. पाण्डेय
2.	श्री रत्नेश पैकरा	2.	श्री खीर प्रसाद ठाकुर
3.	श्रीमती श्रद्धा केशरवानी	3.	श्री जी. एस. सोनी
4.	श्री शोएब काजी	4.	श्री आर. के. प्रधान
5.	श्री तेजेश कुमार	5.	श्री रमेश आदिले
6.	श्री वैभव कुमार क्षेत्रज	6.	श्री राम आसरे नेताम
7.	श्री अजय हेमंत देशमुख	7.	श्री गोविन्द कुमार निहनियां
8.	श्री रणवीर कपूर	8.	श्री कलदियूस खलखो
		9.	श्री आर. जी. सुधाकर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-131/2008/32.—श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं अध्यक्ष, नया रायपुर डेव्लपमेंट अथॉरिटी के दिनांक 16-09-2015 से 23-12-2015 तक अर्जित अवकाश पर है,

राज्य शासन, छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-65 के अंतर्गत श्री अमन कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ श्री एन. बैजेन्द्र कुमार की अवकाश अवधि के लिए, अध्यक्ष, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी नया रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 4-8/2006/32.—श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं अध्यक्ष, नया रायपुर डेव्लपमेंट अथॉरिटी के दिनांक 16-09-2015 से 23-12-2015 तक अर्जित अवकाश पर है.

राज्य शासन, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत श्री अमन कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ श्री एन. बैजेन्द्र कुमार की अवकाश अवधि के लिए, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 01 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तमनार विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, तमनार जिला रायगढ़ की संशोधित सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 7-14/2013/12.—राज्य शासन एतद् द्वारा चीफ कन्ट्रोलर ऑप माइन्स, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के परिपत्र क्रमांक 2/2010, दिनांक 06-04-2010 के पैरा-2 के बिन्दु-2 एवं भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 08-10-2014 के तारतम्य में Global Positioning System (डीजीपीएस) का उपयोग करते हुए खनिज कोयला को छोड़कर समस्त खनिजों के खनिज रियायतों के सीमा स्तम्भ का सर्वेक्षण

करने के लिए नीचे तालिका के कॉलम नंबर 02 में दर्शित संस्थाओं को अधिमान्यता प्रदान करता है :—

क्रमांक (1)	एजेंसी का नाम एवं पता (2)	अधिमान्यता का विवरण (3)
1.	M/s Aditi Infotech, Nagpur (MH) F-4, 4th Floor, Swapnil Apartment, Abhyankar Road, Dhantoli, Nagpur 440012 (India) Email : aditiinfotechhl@gmail.com aditi_infotech@bsnl.in, Fax No.-071-2427355.	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनि रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.
2.	M/s VS Engineers and Consultant, Noida (UP) D-57, Ground Sector-10, Noida (UP) 201301 (India) Email : vkrai1970@gmail.com vk@vsecs.com & sales@vsecs.com Tel. No.- +91-0120-4210644, 09999972607.	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनि रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.
3.	M/s Sri Tech Engineers, Hospet (Karnataka) H. No. 762, Ashirwad Nilaya Ward No. 31, Vivekanand Nagar, Sandur Road, Hospet 583201 Email : sritechram2008@gmail.com Mob. No. 09845982019.	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनि रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.
4.	M/s Cyber Swift Infotech Pvt. Ltd. Kolkata 700091 DN 52, PS Srijan Tech Park, 6th Floor, Salt Lake, Sec-V, Kolkata 700091, Email : info@cyber-swift.com Phone No.- (033)-33546600, 33546603.	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनि रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.
5.	M/s Department of Mining Engineering, Indian School of Mines, Dhanbad (Bihar) Email : dheeraj@dkumar.org Phone No.-0326-2235468, + 91-9431711199 Fax No. 0326-2296563.	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनि रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.
6.	M/s Maptech Solutions Pvt. Ltd. H-5/111, Ground Floor, Jaydev Vihar (Near Patanjali Chikitsalay), Bhubaneshwar-751015 Contect-(0674)-2361309 Mob. No.-08763209815 Email : mtspvtltd2012@gmail.com.	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनि रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.
7.	M/s Overseas Min-Tech Consultants 501, 5th Floor, Apex Tower, Tank Road, Jaipur 302015 Tel. - + 91-141-244509, Fax : 0141-2744509 Mob. + 91-9460221084, Email : arun.omtc@gmail.com Website : www.overseasmintech.com.	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनि रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.
8.	M/s Synergy Geotech Private Limited 51, Panchdeep Nagar, Wardha Road, Nagpur 440025 Phone No. - +91-712 6568885 Email : gt.synergy@gmail.com CIT No. - U24119MH 2008PTC182728 Date- 27-05-2008	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनि रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.

(1)	(2)	(3)
9.	M/s imaGIS Engineering Solution Pvt.Ltd. Plot No. 13/2, IT Park, Parsodi, Nagpur 440022 P. No. : 91 7122222137, 2246348 Fax No. : 91 712 222 0404 Email : info@imagis.co.in & imagis@rediffimail.com	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनि रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.
10.	M/s Suvadra Consultants H. No. - PP-97, Tankapani Road BBSR 18, Odisa Phone No. - (0674) 6536124, Tele Fax : 2432090 Email : suvadraconsolution@gmail.com	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनि रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.

2. अधिमान्यता प्राप्त संस्थानो के लिए निम्नानुसार शर्तें निर्धारित की गई है :—

1. The Survey Agency shall be responsible for the accuracy of the data collected during Survey.
2. Coordinates of boundry pillars shall be established in the World Geodetic System 1984 (WGS-84) Datum.
3. Each boundry pillar shall be surveyed using DGPS, at least 2 hours observation for its ground position.
4. The maximum distance between any two successive pillars should not be more than 50 meters.
5. The pillar shall be square pyramid frustum shaped above the surface and cuboid shaped below the surface. Each pillar shall be of reinforced cement concrete. The corner pillars shall have a base of 0.30m x 0.30m and height of 1.30m of which 00.70m shall be above ground level and 0.60m below the ground.
6. The intermediate pillars shall have a base of 0.25m x 0.25m and height of 1.om of which 0.70m shall be above ground level and 0.30 m below the ground level.
7. All the pillars shall be painted in yellow colour and the top ten centimenters in red colour by enamel paint and shall be grouted with cement concrete.
8. The tip of all the corner boundary pillars shall be a square of 15 centimeter on which a permanent circle of 10 centimeter diameter shall be drawn by paint or engraved and the actual boundary point shall be intersection of two diameters drawn at 90 degrees.
9. Distance and bearing to the forward and backward pillars and latitudes and longitudes should be marked on all the corner pillars.
10. डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्यता प्राप्त संस्थान एवं खनिज रियायतधारी के मध्य आपसी समन्व्य से किया जायेगा. किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होने पर राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा.
11. डीजीपीएस सर्वे कार्य के गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की कार्य संबंधी शिकायत पाये जाने पर जांच उपरांत राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि उक्त अधिकृत एजेंसी की मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है.
12. डीजीपीएस सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को करना होगा.
13. राज्य शासन द्वारा जारी यह अधिमान्यता 03 वर्ष के लिए होगी. समयावधि समाप्ति से 03 माह पूर्व अधिकृत एजेंसी नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा.

3. यह अधिमान्यता अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए ही मान्य होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 5-2/2010/25-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चयनसूची क्रमांक 89/27/चयन/2015, दिनांक 01-04-2015 द्वारा सहायक नियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित एवं अनुशंसित किए गए निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक 02 वर्ष की परिवीक्षा पर सहायक नियोजन अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 15,600-39,100 एवं ग्रेड पे 5400/- में अनन्तिम (PROVISIONAL) रूप से नियुक्त करता है तथा उनकी पदस्थापना सहायक नियोजन अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शाये गए स्थान में पदस्थ करता है :—

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री शोएब काजी, आत्मज स्व. श्री गयास अहमद काजी, एच-7, स्ट्रीट नं.-4, श्रीराम नगर फेस-1, टी.व्ही. टॉवर के पास, पो. आ. शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) पिन-492007	अनारक्षित	सहायक नियोजन अधिकारी, कार्यालय, आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन नया रायपुर.

2. उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :—

(i) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

(ii) परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

(iii) परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोष जनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा 01 माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है. संबंधित अधिकारी यदि अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा उसके बाद अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें 01 माह का नोटिस अथवा उसके एवज में 01 माह का वेतन जमा करना होगा.

(iv) परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

(v) अभ्यर्थी का निर्धारित मापदण्ड अनुप्रमाणन फॉर्म अनुसार आचरण एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव नहीं होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवायें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी.

(vi) शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006 यथा संशोधित 2011" के प्रावधानों के तहत शासित होगा.

(vii) अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सकीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेश सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है. अत: अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा आयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

3. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सक्षम अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवास प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

4. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जायेगा.

5. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

6. चयनित अभ्यर्थी की वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी. पदभार ग्रहण करने के दिनांक का उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.

7. छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी पदस्थी कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी.

8. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में शासन के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है.

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 5-2/2010/25-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की अंतिम चयन परिणाम, चयन सूची क्रमांक 88/27/चयन/2015, दिनांक 01-04-2015 द्वारा सहायक अनुसंधान अधिकारी (सहायक संचालक) के 03 विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयनित एवं अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक 02 वर्ष की परिवीक्षा पर सहायक अनुसंधान अधिकारी (सहायक संचालक) के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 15,600-39,100 एवं ग्रेड पे 5400/- में अनन्तिम (PROVISIONAL) रूप से नियुक्त करता है तथा उनकी पदस्थापना सहायक अनुसंधान अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में दर्शाये गए स्थान में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग की सूची का वरीयता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	श्री जसबीर सिंह पन्नु, आत्मज स्व. श्री गुरूचरण सिंह पन्नु, म.नं.-20/1464, पोस्ट-रविग्राम, खैर माई मंदिर के पीछे, श्याम नगर, रायपुर (छ.ग.) पिन - 492006	अनारक्षित	सहायक अनुसंधान अधिकारी, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई, जगदलपुर जिला बस्तर.
2.	2	श्री श्रीकांत कसेर, आत्मज श्री श्रीवत्स कसेर महादेव घाट, कसेर पारा, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन - 495671	अ.पि.व.	सहायक अनुसंधान अधिकारी, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई, अम्बिकापुर जिला सरगुजा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	3	श्री विजय सिंह, आत्मज श्री हरि सिंह, ग्राम–कोहड़िया, पुरानी बस्ती, पोस्ट+तहसील–कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.) पिन – 495677	अ.ज.जा.	सहायक अनुसंधान अधिकारी, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई, बिलासपुर जिला बिलासपुर.

2. उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :—

(i) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

(ii) परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

(iii) परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोष जनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा 01 माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है. संबंधित अधिकारी यदि अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा उसके बाद अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें 01 माह का नोटिस अथवा उसके एवज में 01 माह का वेतन जमा करना होगा.

(iv) परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

(v) अभ्यर्थी का निर्धारित मापदण्ड अनुप्रमाणन फॉर्म अनुसार आचरण एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव नहीं होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवायें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी.

(vi) शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006 यथा संशोधित 2011" के प्रावधानों के तहत शासित होगा.

(vii) अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सकीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेश सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है. अत: अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा आयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

3. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सक्षम अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवास प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

4. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जायेगा.

5. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

6. चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी. पदभार ग्रहण करने के दिनांक का उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.

7. छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी पदस्थी कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी.

8. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में शासन के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है.

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 5-2/2010/25-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चयन सूची क्रमांक 90/27/चयन/2015, दिनांक 01-04-2015 द्वारा सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित एवं अनुशंसित किए गए निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक 02 वर्ष की परिवीक्षा पर सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 9300-34,800 एवं ग्रेड पे 4300/- में अनन्तिम (PROVISIONAL) रूप से नियुक्त करता है तथा उनकी पदस्थापना सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शाये गए स्थान में पदस्थ करता है :—

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री गुरमीत सिंह, आत्मज श्री रतन सिंह, एम.आई.जी.-1/106, साडा कॉलोनी, कबीर भवन के पास, एन.टी.पी.सी. जमनीपाली, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन-495450	अनारक्षित	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन नया रायपुर.

2. उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :—

(i) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

(ii) परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

(iii) परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोष जनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा 01 माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है. संबंधित अधिकारी यदि अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा उसके बाद अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें 01 माह का नोटिस अथवा उसके एवज में 01 माह का वेतन जमा करना होगा.

(iv) परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

(v) अभ्यर्थी का निर्धारित मापदण्ड अनुप्रमाणन फॉर्म अनुसार आचरण एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव नहीं होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवायें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी.

(vi) शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006 यथा संशोधित 2011" के प्रावधानों के तहत शासित होगा.

(vii) अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सकीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेश सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है. अतः अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा आयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

3. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सक्षम अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवास प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

4. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जायेगा.

5. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

6. चयनित अभ्यर्थी की वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी. पदभार ग्रहण करने के दिनांक का उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.

7. छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी पदस्थी कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी.

8. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में शासन के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एमरेंसिया खेस्स, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अंबिकापुर, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्रमांक 44/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	चलगली प.ह.नं. 26	86.187	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)	गागर-फीडर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्रमांक 45/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	बकनाकला प.ह.नं. 15	30.550	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)	गागर-फीडर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्रमांक 46/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	करगीडीह प.ह.नं. 26	73.153	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)	गागर-फीडर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्रमांक 47/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	खालपोड़ी प.ह.नं. 26	29.830	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)	गागर-फीडर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्रमांक 48/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	कुन्दीकला प.ह.नं. 15	69.925	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)	गागर-फीडर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 24 सितम्बर 2015

क्रमांक/309/अ.वि.अ./भू-अर्जन/17 अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	बागबाहरा	कछारडीह प.ह.नं. 37	0.03	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	ग्राम सिलहाटी से भलेसर मार्ग के धौरा भाठा नाला में पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुन्द छ. ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 18 सितम्बर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	काजनसरा प.ह.नं. 51	1.36	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	सोढ़ूर नदी पर निर्माणाधीन सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 सितम्बर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	राजिम	हथखोज प.ह.नं. 18	0.21	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	सूखा नदी पर निर्माणाधीन सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्रमांक 09/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	घुड़ावर/जैतपुरी प.ह.नं. 25	0.39	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी जिला-धमतरी.	घुड़ावर-जैतपुरी-दुधावा मार्ग के कि.मी. 29/2 पर जैतपुरी नाला पर पुल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 सितम्बर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-गोसाईडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	105/1	0.040
	106	0.089
योग	2	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खम्हार पाकुट, जलाशय योजना के तहत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लैलूंगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्रमांक/1836/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.220 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	57/1	0.060
	59	0.120
योग	2	0.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पापरा परसदा मार्ग गोरियान नाला पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्रमांक/1838/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-बालोद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.651 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50/2	0.016
51/2	0.14
51/3	0.19
53/1	0.38
53/5	0.21
67	0.07
68	0.001
69/1	0.26
70/2	0.004
70/4	0.004
72/1	0.13
73/1	0.032
73/2	0.012
74/1	0.283
75/4	0.14
76/1	0.252
76/4	0.001
84/1	0.008
103/3	0.263
137/2क	0.024
137/2ग, 137/2ड	0.034
137/3क	0.107
137/3ग	0.084
137/4क	0.073
137/4ग	0.073
188/1क	0.04
203/2	0.14
203/3	0.11
203/4	0.001
204/2	0.13
204/3	0.04
204/4	0.08
204/5	0.08
204/6	0.07
204/8	0.14
205/2	0.004
205/3	0.004

(1)	(2)
205/11	0.004
205/12	0.008
205/13	0.004
205/14	0.004
218/7	0.1
218/2-3	0.12
219/1	0.08
219/2	0.11
220	0.3
273 & 274/1	0.056
274/4	0.014
274/5	0.045
274/6	0.02
274/9	0.023
274/8	0.133
योग 53	4.651

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बालोद से पड़कीभाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सिंह राणा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय, कलेक्टर धमतरी, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

राजस्व प्र. क्र. 54 अ/3 वर्ष 2014-15

ग्रामवासी ग्राम माड़मसिल्ली
तहसील नगरी जिला धमतरी .... आवेदक

विरुद्ध

छ.ग. शासन

आदेश

(पारित दिनांक 31-08-2015)

क्रमांक 409/वाचक/कलेक्टर/2015.—ग्रामवासी ग्राम माडमसिल्ली तहसील नगरी का एक संयुक्त हस्ताक्षर युक्त आवेदन, सिंचाई ग्राम माडमसिल्ली को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु प्राप्त हुआ. आवेदन की जांच तहसीलदार नगरी द्वारा की गई, जो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के अभिमत सहित प्राप्त हुआ.

2. प्रकरण में आवेदनगण के आवेदन पत्र, कनिष्ठ अधिकारियों के प्रतिवेदन एवं दस्तावेजों का अध्ययन किया गया, जिसके अनुसार प्रकरण की वस्तु स्थिति निम्नानुसार है :—

1. ब्रिटिश काल में ग्राम माडमसिल्ली सिंचाई बांध का निर्माण वर्ष 1913 में प्रारंभ किया गया, जो वर्ष 1923 में बनकर तैयार हुआ. मिशन अभिलेख तैयार होने के पूर्व से यह ग्राम सिंचाई विभाग के कब्जे में रहा है. इस ग्राम का मिसल रिकार्ड उपलब्ध नहीं है. सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम के सम्पूर्ण भूमि को कैचमेन्ट एरिया मानकर कब्जे में रखा गया. यह ग्राम ठीक बांध के नीचे आबाद है और कृषि भूमि भी बांध के नीचे है. इस ग्राम के कृषक, कृषि भूमि बनाकर बांध के नीचे स्थित भूमि में शांति पूर्वक कास्त करते आ रहे हैं. वे पूर्व में सिंचाई विभाग को लगान अदा करते थे.

2. वर्ष 1993 में राजस्व विभाग द्वारा इस ग्राम का प्रथम बार सर्वे किया गया तथा कृषकों को, वर्ष 1994-95 में फार्म (ई) में पंचवर्षीय पट्टा जारी किया गया, तब से कृषकों द्वारा भू-राजस्व की राशि राजस्व विभाग में जमा की जा रही है. सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम का कोई नक्शा, खसरा बी-1 संधारित नहीं किया गया. सर्वेक्षण करके राजस्व विभाग द्वारा नक्शा, खसरा बी-1 संधारित किया गया, तत्पश्चात् वर्ष 2002-03 में सभी 82 कृषकों को फार्म (ए) में भूमि स्वामी अधिकार की मंजूरी की गई एवं ऋण पुस्तिका जारी किया गया.

3. ग्रामवासियों के आवेदन पत्र में बताया गया कि ग्राम माडमसिल्ली को राजस्व ग्राम नहीं होने के कारण धान बिक्री, खाद बीज, ऋण इत्यादि कार्यो में कठिनाई होती है एवं उन्हें शासकीय योजनाओं का भी उचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है.

4. ग्राम माडमसिल्ली को राजस्व ग्राम घोषित करने के आशय का ईस्तहार ग्राम में प्रकाशित किया गया, जिसमें किसी प्रकार का दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ. ग्राम पंचायत भोथापारा तहसील नगरी के प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 14-11-2014 में ग्राम माडमसिल्ली को राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है.

5. ग्राम माडमसिल्ली के कृषकों/खातेदारों की संख्या 82, कुल खसरा नंबर 172 कुल रकबा 84.88 हे. कुल भू-राजस्व 226.55 रु. है.

6. ग्राम माडमसिल्ली के शासकीय एवं अन्य परिसम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :—

स. क्र. (1)	मद का विवरण (2)	खसरा नंबर (3)	रकबा (4)
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	198	97.89
2.	मकबूजा क्षेत्रफल	172	84.88
3.	गैर मकबूजा क्षेत्रफल	26	13.01
4.1	आबादी भूमि	5	1.78
4.2	घांस चारागन भूमि	9	4.28
4.3	पानी के नीचे	1	0.09
4.4	सड़क रस्ता	5	2.61
4.5	बड़े झाड़ के जंगल	1	3.91
4.6	पहाड़ चट्टान	4	0.25
4.7	बाग अमराई	1	0.09
	योग 4.1 से 4.7 तक	**26**	**13.01**
5.	कुल खातेदारों की संख्या	82	
6.	कुल भू-राजस्व	226.55	
7.	जनसंख्या	419 (माडमसिल्ली 223, साइफनपारा 196)	
8.	प्राथमिक शाला	2	
9.	आंगनबाड़ी भवन	1	
10.	तालाबों की संख्या	0 (दो निजी)	
11.	खेल मैदान	0	
12.	कब्रिस्तान/श्मशान घाट	1	
13.	हेण्डपम्पों की संख्या	13	
14.	चौपाल एवं मनोरंजन भवन	3	

7. कार्यपालन अभियन्ता जल प्रबंध संभाग रूद्री कोड नं. 38 के ज्ञापन क्रमांक 490/कार्य/रा.ग्रा. माडमसिल्ली/2014 रूद्री दिनांक 05-02-2015 में प्रतिवेदित है कि लगभग 20 वर्ष पूर्व माडमसिल्ली ग्राम की 94.07 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण दस्तावेज सहित राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई थी. जिसके आधार पर राजस्व विभाग द्वारा ग्राम-माडमसिल्ली के कृषकों को पट्टा बनाकर भूमि आबंटित की गई है. वर्तमान में उक्त भूमि से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है. अत: ग्राम-माडमसिल्ली को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु इस कार्यालय से प्रस्ताव बनाना संभव नहीं है. कार्यपालन अभियन्ता जल प्रबंध संभाग रूद्री कोड नं. 38 के अन्य ज्ञापन क्रमांक 3281/कार्य/2015 रूद्री दिनांक 21-07-2015 में यह प्रतिवेदित है कि माडमसिल्ली बांध ब्रिटिश काल में सन् 1923 में निर्मित है तथा इस बांध का समय-समय पर बांध सुरक्षा विशेषज्ञ समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है एवं उनके सुझावनुसार बांध सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाते हैं. जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत 05 शर्त आवश्यक है. चूंकि कभी भी बांध का मरम्मत/सुदृढ़ीकरण हेतु जमीन की आवश्यकता होगी. अत: शासन/विभाग द्वारा निर्धारित 05 शर्त यथावत रखी जावे.

8. जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत 05 शर्तें, जिसका विवरण कृषकों को प्रदत्त पट्टे में है, वे निम्नानुसार है :—

(i) भविष्य में बाढ़ की स्थिति में बांध के जल से किसी प्रकार की क्षति के लिए सिंचाई विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इसके लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जावेगी.

(ii) भविष्य में यदि निर्माण कार्य हेतु सिंचाई विभाग को हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता हुई तो इस भूमि को सिंचाई विभाग बगैर मुआवजा दिये वापस लेने का हकदार होगा.

(iii) बांध की मरम्मत व रख-रखाव के लिए मिट्टी पत्थर या अन्य सामग्री की आवश्यकता होने पर सिंचाई विभाग समीप की भूमि (हस्तांतरित भूमि) से लेने का हकदार होगा.

(iv) हस्तांतरित भूमि किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं की जा सकेगी.

(v) भविष्य में हस्तांतरित भूमि में खेती कर रहे किसानों द्वारा यदि सिंचाई निर्माण कार्यों जैसे बांध, वीयर, जन विकास नालियों में तोड़फोड़ या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जिससे बांध की सुरक्षा प्रभावित होती हो तो हस्तांतरण रद्द समझा जावेगा.

3. प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों पर विचारण किया गया. ग्राम माडमसिल्ली में सिंचाई बांध का निर्माण ब्रिटिश काल में वर्ष 1923 में पूर्ण हुआ है. बांध बनने के बाद से ग्राम माडमसिल्ली सिंचाई विभाग के आधिपत्य में था, जिसके कारण ग्राम माडमसिल्ली का मिशल रिकार्ड नहीं बना है. सिंचाई विभाग द्वारा भूमि से संबंधित अभिलेख यथा-नक्शा, खसरा बी-1 को भी संधारित नहीं किया गया है. राजस्व विभाग द्वारा ग्राम माडमसिल्ली के 82 कृषकों को वर्ष 1994-95 में फार्म (ई) में पंचवर्षीय पट्टा दिया गया, तब से कृषकों द्वारा राजस्व विभाग में भू-राजस्व की आदायगी की जा रही है. राजस्व विभाग ने ग्राम माडमसिल्ली का सर्वेक्षण कराकर नक्शा, खसरा, बी-1 संधारित किया है एवं वर्ष 2002-03 में सभी कृषकों को फार्म (ए) में भूमि स्वामी अधिकार मंजूर करके ऋण पुस्तिका जारी किया है. प्रकरण में सिंचाई विभाग ने कृषकों के लिए नियत 05 शर्त, जिसका उल्लेख इस आदेश के बिन्दु क्रमांक 2 (8) में है, को यथावत् रखने का आग्रह किया है. सिंचाई विभाग का उक्त 05 शर्त बांध की सुरक्षा की दृष्टि से, उचित प्रतीत होता है. सिंचाई विभाग ने उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य कोई समाधानकारक दस्तावेज एवं अभिलेख पेश नहीं किया है. जबकि राजस्व विभाग द्वारा राजस्व सर्वेक्षण करके राजस्व अभिलेख संधारण, पट्टा बंटन, भूमि स्वामी हक प्रदान करने इत्यादि कार्यों को पूर्व में किया गया है. उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया में ग्राम माडमसिल्ली राजस्व ग्राम बनाने के योग्य प्रतीत होता है. ऐसा करने से ग्रामवासियों एवं कृषकों को धान विक्रय करने, खाद बीज लेने तथा अन्य शासकीय योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त हो सकेगा.

4. उपरोक्त विचारण के आधार पर मेरा यह समाधान हो जाता है कि तहसील नगरी स्थित ग्राम माडमसिल्ली, राजस्व ग्राम घोषित किए जाने योग्य है. अत: छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तहसील नगरी स्थित ग्राम माडमसिल्ली को राजस्व ग्राम घोषित करता हूं. यह आदेश निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा—

(i) भविष्य में बाढ़ की स्थिति में बांध के जल से किसी प्रकार की क्षति के लिए सिंचाई विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इसके लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जावेगी.

(ii) भविष्य में यदि निर्माण कार्य हेतु सिंचाई विभाग को हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता हुई तो इस भूमि को सिंचाई विभाग बगैर मुआवजा दिये वापस लेने का हकदार होगा.

(iii) बांध की मरम्मत व रख-रखाव के लिए मिट्टी पत्थर या अन्य सामग्री की आवश्यकता होने पर सिंचाई विभाग समीप की भूमि (हस्तांतरित भूमि) से लेने का हकदार होगा.

(iv) हस्तांतरित भूमि किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं की जा सकेगी.

(v) भविष्य में हस्तांतरित भूमि में खेती कर रहे किसानों द्वारा यदि सिंचाई निर्माण कार्यों जैसे बांध, वीयर, जन विकास नालियों में तोड़फोड़ या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जिससे बांध की सुरक्षा प्रभावित होती हो तो हस्तांतरण रद्द समझा जावेगा.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा सहित आज दिनांक 31-08-2015 को पारित किया गया.

भीम सिंह,
कलेक्टर.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 सितम्बर 2015

क्रमांक/746/नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मुलमुला निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा, ग्राम पंचायत ऑगन बाड़ी केन्द्र बृहस्पति बाजार मुलमुला एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में दिनांक 02-09-2015 से कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

अनुसूची

मुलमुला निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम आरसमेटा, गोंदाडीह, अमोरा एवं नरियरा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम नरियरा, झिलमिला, झिलमिली एवं भैंसों ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम भैंसों एवं कोसा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कोसा, कोनार एवं आरसमेटा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना का छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवसों की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे आयुक्त सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No./246/T & CP/2015.—Notice is hereby given that of existing land use maps for Mulmula Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the CG Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 02-09-2015 during office hour's in the office of the Collector Distt.-Janjgir-Champa (C.G.), Gram Panchayat Angan Badi Kendra Brihspati Baajar Mulmula Dist.- Janjgir-Champa (C.G.) and Office of the Assistant Director, Town and Country Planning Janjgir-Champa (C.G.) The limits of Mulmula planning area detailed in schedule given below :

SCHEDULE

Limits of Mulmula Planning Area

NORTH : Village Arsmeta, Gondadih, Amora and Nariyara upto the North limit.
EAST : Village Nariyara, Jhilmila, Jhilmili and Bhaison upto the East limit.
SOUTH : Village Bhaison and Kosa upto the South limit.
WEST : Village Kosa, Konar and Arsmeta upto the West limit.

If there be any objection or suggestion regarding so prepared the existing land use map should be given in writing at the place of inspection within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Where any objection or suggestion regarding said above existing land use map wich received from any person before the specified period will be consider by the Commissioner Cum-Director Town and Country Planning Chhattisgarh, Naya Raipur.

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्रमांक/1560/बिलाईगढ़/नग्रानि/2015.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बलौदाबाजार द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बिलाईगढ़ निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं, इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

बिलाईगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम लुकापारा, गोविंदबन एवं छपोरा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम छपोरा एवं बांसउरकुली ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बांसउरकुली, टाड़ापारा एवं रमतला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम रमतला, खजुरी एवं लुकापारा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिन को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थत :— कार्यालय नगर पंचायत, बिलाईगढ़.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2015

क्रमांक/16247/नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि तिल्दा-नेवरा निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी एक प्रति नगर पालिका परिषद्, तिल्दा-नेवरा के कार्यालय भवन, कलेक्टर कार्यालय रायपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) में दिनांक 08 अक्टूबर 2015 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

तिल्दा-नेवरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बिलाड़ी तथा खपरीकला ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम टंडवा, भुरसुदा, परसदा तथा बिलाड़ी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम सिरवे, बहेसर, कुन्दरु तथा टंडवा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम खपरीकला, सिनोधा, नेवरा, कोहका तथा सिरवे ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, शास्त्री चौक, रायपुर छ.ग. को सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संयुक्त संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पालिका परिषद्, तिल्दा-नेवरा, रायपुर (छ.ग.)

No. 16247/T & CP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps and registers of Tilda-Newara Planning Area has been prepared under sub section (1) of seciton 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection w.e.f. 08 October 2015 during office hours in the Office of the Nagar Palika Parishad, Tilda-Newara, The Office of the Collector, Raipur and Office of the Joint Director Town and Country Planning, Shastri Chowk, Raipur (C.G.) the limits of Tilda-Newara Planning Area are defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Tilda-Newara Planning Area

NORTH	:	Village Biladi and upto the Northern limit of Khapari Kalan village.
WEST	:	Village Tandwa, Bhursuda, Parsada and upto the Western limit of Biladi villages.
SOUTH	:	Village Sirwe, Bahesar, Kundru and upto the Southern limit of Tandwa villages.
EAST	:	Village Khapari Kalan, Sinodha, Newara, Kohka and upto the Eastern limit of Sirwe villages.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use maps and registers so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Shastri Chowk, Raipur (C.G.) within a period of thirty days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette."

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use maps and registers before the expiry of the specified period above will be considered by the Joint Director.

Place of inspection :— Office of the Nagar Palika Parishad, Tilda-Newara, Raipur (C.G.)

विनीत नायर,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड

बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2015

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/4672.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/6344 रायपुर, दिनांक 16-01-2014 द्वारा श्री जी. एस. धुर्वे उप संचालक कृषि को कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा जिला-बेमेतरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर बेमेतरा का पत्र क्रमांक 1346/स्टेनों/कले/2015 दिनांक 22-09-2015 द्वारा श्री विनोद वर्मा उप संचालक कृषि, बेमेतरा को कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री जी. एस. धुर्वे उप संचालक कृषि का स्थानांतरण कृषक प्रशिक्षण केन्द्र दुर्ग हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री विनोद वर्मा उप संचालक कृषि बेमेतरा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बेमेतरा जिला बेमेतरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, नया रायपुर
ब्लाक-एक, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./2015/1182.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय रायपुर द्वारा माह सितम्बर 2015 (दिनांक 07-09-2015 से 11-09-2015 तक) में आयोजित छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-दो में सम्मिलित निम्नानुसार कर्मचारियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र.	परीक्षा अनुक्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	15001	श्री पंकज कुमार मित्तल	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परिवीक्षाधीन)
2.	15003	श्री अविनाश भट्ट	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परिवीक्षाधीन)
3.	15004	श्री दीपक कुमार परगनिहा	सहायक संपरीक्षक
4.	15005	श्री अतुल कुमार अग्रवाल	सहायक संपरीक्षक
5.	15006	श्रीमती सीमा नायक	सहायक संपरीक्षक
6.	15008	कु. मिथिलेश्वरी शर्मा	सहायक संपरीक्षक
7.	15010	श्रीमती शैल ध्रुव	सहायक संपरीक्षक
8.	15013	श्री ताम्रध्वज साहू	सहायक संपरीक्षक
9.	15017	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	सहायक संपरीक्षक
10.	15025	श्री रामेन्द्र कुमार जोशी	सहायक संपरीक्षक

बी. एस. भगत,
संचालक (प्र.).

कार्यालय कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा) जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

कोण्डागांव, दिनांक 25 अप्रैल 2015

क्रमांक/287/कले./भू.अ.शा./रा.नि. हल्का पु./2015.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं धनंजय देवांगन, कलेक्टर जिला कोण्डागांव एतद्द्वारा तहसील कोण्डागांव, माकड़ी, फरसगांव, केशकाल एवं बड़ेराजपुर में दो पंचायतों के लिए एक पटवारी हल्का बनाने की शासन नीति के आधार पर निम्नानुसार पटवारी हल्कों का पुनर्गठन करता हूं.

सूची

नये पटवारी हल्का का पुनर्गठन संबंधी

क्र. (1)	तहसील का नाम (2)	पटवारी हल्का का नाम (3)	पंचायत का नाम (4)	ग्राम पंचायत का नाम व आश्रित ग्राम (5)
1.	कोण्डागांव	1. केजंग	1. केजंग	केजंग
2.				मूंगवाल
3.			2. नरिहा	नरिहा
4.				पेरमापाल
5.		2. बयानार	1. बयानार	बयानार
6.				जोगीआलवाड़
7.				कोरहोबेड़ा
8.			2. रेंगागोंदी	रेंगागोंदी
9.				बड़को
10.				मड़ानार
11.		3. चिमड़ी	1. चिमड़ी	चिमड़ी
12.				चलका
13.			2. टेमरूगांव	टेमरूगांव
14.				चेरंग
15.		4. बांसगांव	1. बांसगांव	बांसगांव
16.			2. मड़ागांव	मड़ागांव
17.				बावड़ी
18.				तोड़म
19.		5. पाला	1. पाला	पाला
20.				नुगाली
21.			2. कोंगेरा	कोंगेरा
22.				तेलंगा
23.		6. किबईबालेंगा	1. किबईबालेंगा	किबईबालेंगा
24.				कोकोड़ी
25.			2. चौड़ंग	चौड़ंग
26.				कोदागांव
27.		7. मालाकोट	1. मालाकोट	मालाकोट
28.		8. बुनागांव	1. बुनागांव	बुनागांव
29.				गुलभा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.			2. बनजुगानी	बनजुगानी
31.				कराठीआलवाड़
32.		9 उमरगांव 'अ'	1. उमरगांव 'अ'	उमरगांव 'अ'
33.				बनसिरसी
34.				केवटी
35.				दाड़िया
36.			2. चिचडोंगरी	चिचडोंगरी
37.				मथनीबेड़ा
38.				कोटेलबेड़ा
39.				सिरसी बेड़ा
40.		10 मसोरा	1. मसोरा	मसोरा
41.			2. भिरागांव 'ब'	भिरागांव 'ब'
42.				देवखरगांव
43.		11 गिरोला	1. गिरोला	गिरोला
44.			2. सातगांव	सातगांव
45.		12 पल्ली	1. पल्ली	पल्ली
46.			2. भोगाड़ी	भोगाड़ी
47.				मरवाबेड़ा
48.		13 चिलपुटी	1. चिलपुटी	चिलपुटी
49.			2. सितली	सितली
50.				इंदागांव
51.		14 डोंगरीगुड़ा	1. डोंगरीगुड़ा	डोंगरीगुड़ा
52.			2. पलारी	पलारी
53.		15 कोण्डागांव	1. कुम्हारपारा (कोण्डागांव न.पा. में सम्मिलित)	कुम्हारपारा
54.		16 सम्बलपुर	1. सम्बलपुर	सम्बलपुर
55.			2. चिखलपुटी	चिखलपुटी
56.				दूधगांव
57.				चिचपोलंग
58.		17 बम्हनी	1. बम्हनी	बम्हनी
59.				कारसिंग
60.			2. इसलनार	इसलनार
61.				धनसूली
62.				चमाई
63.		18 बनियागांव	1. बनियागांव	बनियागांव
64.			2. कुसमा	कुसमा
65.				कचोरा
66.		19 कोकोड़ी	1. कोकोड़ी	कोकोड़ी
67.			2. बोलबोला	बोलबोला
68.				जरेबेन्दरी
69.				छोटेबंजोड़ा
70.		27 करंजी	1. करंजी	करंजी
71.			2. बाखरा	बाखरा
72.		29 राजागांव	1. राजागांव	राजागांव
73.			2. कुकाड़गारकापाल	कुकाड़गारकापाल
74.		30 दहिकोंगा	1. दहिकोंगा	दहिकोंगा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75.		31 जोबा	1. जोबा	जोबा
76.				बड़ेउसरी
77.			2. सुकूरपाल	सुकूरपाल
78.		32 माकड़ी	1. माकड़ी	माकड़ी
79.				बनउसरी
80.			2. घोड़ागांव	घोड़ागांव
81.		20 बफना	1. बफना	बफना
82.				फरसगांव
83.			2. बड़ेभिरावण्ड	बड़ेभिरावण्ड
84.		21 मुलमुला	1. मुलमुला	मुलमुला
85.				धनपुर
86.			2. नेवता	नेवता
87.				लेमड़ी
88.		22 सिंगनपुर	1. सिंगनपुर	सिंगनपुर
89.				डोंगरसिलाटी
90.			2. फूकागिरोला	फूकागिरोला
91.				बड़ेसिलाटी
92.		23 मालगांव	1. मालगांव	मालगांव
93.			2. भिरागांव 'अ'	भिरागांव 'अ'
94.				सिदावण्ड
95.		24 चिपावण्ड	1. चिपावण्ड	चिपावण्ड
96.				काकड़ाबेड़ा
97.			2. भगदेवा	भगदेवा
98.		25 उमरगांव 'ब'	1. उमरगांव 'ब'	उमरगांव 'ब'
99.				कुलझर
100.			2. निलजी	निलजी
101.				कतावण्ड
102.		26 बड़ेबेंदरी	1. बड़ेबेंदरी	बड़ेबेंदरी
103.			2. छोटेभिरावण्ड	छोटेभिरावण्ड
104.				लखनपुरी
105.		28 बड़ेकनेरा	1. बड़ेकनेरा	बड़ेकनेरा
106.			2. कमेला	कमेला
107.		33 मोहलई	1. मोहलई	मोहलई
108.			2. करनपुर	करनपुर
109.				हिरामांदला
110.		34 मुनगापदर	1. मुनगापदर	मुनगापदर
111.				मेड़पाल
112.			2. पुसावण्ड	पुसावण्ड
113.				काकड़गांव
114.		35 बड़ेबंजोड़ा	1. बड़ेबंजोड़ा	बड़ेबंजोड़ा
115.			2. बोटीकनेरा	बोटीकनेरा
116.		36 सोनाबाल	1. सोनाबाल	सोनाबाल
117.			2. मड़ानार	मड़ानार
118.				नगरी
119.		37 पोलंग	1. पोलंग	पोलंग
120.			2. खण्डाम	खण्डाम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
121.		38 बोरगांव	1. बोरगांव	बोरगांव
122.				करियाकाटा
123.			2. झारा	झारा
124.				मयूरडोंगर
125.		39 गोलावण्ड	1. गोलावण्ड	गोलावण्ड
126.				बेतबेड़ा
127.				ढोलमांदरी
128.				तातरी
129.			2. खचगांव	खचगांव
130.				बालासार
131.		40 हंगवा	1. हंगवा	हंगवा
132.			2. तोतर	तोतर
133.				आमगांव
134.		41 आदनार	1. आदनार	आदनार
135.				चेमा
136.			2. छोटेउसरी	छोटेउसरी
137.				टिमेनार
138.				कोहकाड़ी
139.		42 लखापुरी	1. लखापुरी	लखापुरी
140.				एहरा
141.				छोटेकोडेर
142.			2. नाहकानार	नाहकानार
143.				मलनार
144.		43 मुलनार	1. मूलनार	मूलनार
145.				गदनतराई
146.			2. नवागांव	नवागांव
147.				खोड़सानार
148.				पदेली
149.		44 मर्दापाल	1. मर्दापाल	मर्दापाल
150.				चांगेर
151.			2. रानापाल	रानापाल
152.				एरन्डवाल
153.		45 हड़ेली	1. हड़ेली	हड़ेली
154.				एहकली
155.				हांदापाल
156.				मरकामपाल
157.			2. हथकली	हथकली
158.				हांसेल
159.		46 कड़ेनार	1. कड़ेनार	कड़ेनार
160.				मदोड़ा
161.			2. बेचा	बेचा
162.				कीलम
163.		47 मटवाल	1. मटवाल	मटवाल
164.				पदनार
165.			2. टेकापाल	टेकापाल
166.				मालम
167.				मंगवाल
168.				पुंगारपाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
169.		48 कुधूर	1. कुधूर	कुधूर
170.			2. तुमड़ीवाल	तुमड़ीवाल
171.				राकसमेटा
172.		49 बड़ेकुरूसनार	1. बड़ेकुरूसनार	बड़ेकुरूसनार
173.				छोटेकुरूसनार
174.			2. कांगा	कांगा
175.				मेड़पाल
176.				बादालूर
177.		50 हसलनार	1. हसलनार	हसलनार
178.			2. जोड़ेंगा	जोड़ेंगा
179.				पोहमार
180.		51 पुसपाल	1. पुसपाल	पुसपाल
181.			2. खड़पड़ी	खड़पड़ी
182.				परोदा
183.				आदवाल
184.				कोरमेल
		51	**99**	**184**
185.	फरसगांव	1 चनियागांव	1. चनियागांव	चनियागांव
186.			2. देवगांव	देवगांव
187.				जामगांव
188.		2 फुण्डेर	1. फुण्डेर	फुण्डेर
189.				दावड़े
190.			2. बड़ेओड़ागांव	बड़ेओड़ागांव
191.				छोटेओड़ागांव
192.		3 बाड़ागांव	1. बाड़ागांव	बाड़ागांव
193.				तुर्की
194.		4 हाटचपई	1. हाटचपई	हाटचपई
195.				तोयापाल
196.			2. बोकराबेड़ा	बोकराबेड़ा
197.				कोण्डापखना
198.		5 बंजोड़ा	1. बंजोड़ा	बंजोड़ा
199.			2. छिन्दलीबेड़ा	छिन्दलीबेड़ा
200.				गवाड़ी
201.		6 कोनगुड़	1. कोनगुड़	कोनगुड़
202.		7 मोदे	1. मोदे	मोदे
203.				मोदेबेड़मा
204.				कन्हारगांव
205.			2. कोकोड़ाजुगानार	कोकोड़ाजुगानार
206.				परोदा
207.		8 बड़गई	1. बड़गई	बड़गई
208.				बारदा
209.		9 उरन्दाबेड़ा	1. उरन्दाबेड़ा	उरन्दाबेड़ा
210.				नेट
211.			2. आमगांव	आमगांव
212.				कुलानार
213.				कोलंगा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
214.		10 कोटपाड़	1. कोटपाड़	कोटपाड़
215.				मड़कड़ा
216.				मादागांव
217.			2. गोड़मा	गोड़मा
218.				कोरई
219.				तोरण्ड
220.				बोथा
221.		11 पावड़ा	1. पावड़ा	पावड़ा
222.				खण्डसरा
223.			2. झाकरी	झाकरी
224.				आदवाल
225.				मिसरी
226.		12 गोहड़ा	1. गोहड़ा	गोहड़ा
227.				कसईफरसगांव
228.			2. भोंगापाल	भोंगापाल
229.		13 चिंगनार	1. चिंगनार	आलमेर
230.				चिंगनार
231.			2. पलना	पलना
232.				रांधना
233.		14 मैनपुर	1. मैनपुर	मैनपुर
234.				फुटानचांदागांव
235.			2. मोड़ेगा	मोड़ेगा
236.				कहलाकोट
237.		15 बंगोली	1. बंगोली	चियानार
238.				बंगोली
239.			2. बनचपई	बनचपई
240.				सदाड़ी
241.		16 बड़ेडोंगर	1. बड़ेडोंगर	बड़ेडोंगर
242.			2. चांदाबेड़ा	चांदाबेड़ा
243.				छिंदली
244.		17 आलोर	1. आलोर	आलोर
245.				कोंदाबेड़ा
246.				झाटीबन
247.			2. भण्डारवण्डी	भण्डारवण्डी
248.				बैल
249.		18 भुमका	1. भुमका	भुमका
250.			2. मोहपाल	मोहपाल
251.				दिगानार
252.		19 शंकरपुर	1. शंकरपुर	शंकरपुर
253.				पैंसरा
254.			2. फूफगांव	फूफगांव
255.		20 पूर्वी बोरगांव	1. पूर्वी बोरगांव	पूर्वी बोरगांव
256.			2. सिंगारपुरी	सिंगारपुरी
257.				चूरेगांव
258.		21. बोरगांव	1. बोरगांव	बोरगांव
259.				बोरगांव (पश्चिम)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
260.			2. पतोड़ा	पतोड़ा
261.				कोर्राबड़गांव
262.		22 मांझीआठगांव	1. मांझीआठगांव	मांझीआठगांव
263.			2. चिचाड़ी	चिचाड़ी
264.				पाटला
265.		23 फरसगांव	फरसगांव (न.पं. में सम्मिलित)	फरसगांव (न.पं. में सम्मिलित)
266.		24 पासंगी	1. पासंगी	पासंगी
267.			2. बानगांव	बानगांव
268.		25 पाण्डेआठगांव	1. पाण्डेआठगांव	पाण्डेआठगांव
269.			2. गट्टीपलना	गट्टीपलना
270.				जुंगदई
271.		26 मोहलई	1. मोहलई	मोहलई
272.				चांदाबेलगांव
273.			2. चांदागांव	चांदागांव
274.		27 भण्डारसिवनी	1. भण्डारसिवनी	भण्डारसिवनी
275.			2. चरकई	चरकई
276.		28 कुल्हाड़गांव	1. कुल्हाड़गांव	कुल्हाड़गांव
277.				सारबेड़ा
278.			2. जुगानीकलार	जुगानीकलार
279.		29 भानपुरी	1. भानपुरी	भानपुरी
280.			2. हिर्री	हिर्री
281.		30 लंजोड़ा	1. लंजोड़ा	लंजोड़ा
282.			2. सिरपुर	सिरपुर
283.				गुमड़ी
284.		31 सोड़मा	1. सोड़मा	सोड़मा
285.				कारागांव
286.		32 कुम्हारबड़गांव	1. कुम्हारबड़गांव	कुम्हारबड़गांव
287.			2. सिरसीकलार	सिरसीकलार
288.		33 जैतपुरी	1. जैतपुरी	जैतपुरी
289.			2. कबोंगा	कबोंगा
290.				कोसागांव
		33	**59**	**105**
291.	माकड़ी	1 बरकई	1. बरकई	बरकई
292.				नालाझर
293.			2. सोनाबेड़ा	सोनाबेड़ा
294.		2 पुसापाल	1. पुसापाल	पुसापाल
295.				कोटवेल
296.			2. गुहाबोरण्ड	गुहाबोरण्ड
297.				देवडोंगर
298.		3 रांधना	1. रांधना	रांधना
299.				देवहरदूली
300.			2. भीरागांव	भीरागांव
301.				भाठगांव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
302.		4 तारगांव	1. तारगांव	तारगांव
303.				कोसाहरदूली
304.			2. कोकोड़ी	कोकोड़ी
305.		5 ओण्डरी	1. ओण्डरी	ओण्डरी
306.			2. ठेमगांव	ठेमगांव
307.		6 गारे	1. गारे	गारे
308.			2. उदेंगा	उदेंगा
309.				जड़कोंगा
310.		7 बालोण्ड	1. बालोण्ड	बालोण्ड
311.			2. हूक्काबेड़ापाथरी	हूक्काबेड़ापाथरी
312.				बिवला
313.		8 मांझीबोरण्ड	1. मांझीबोरण्ड	मांझीबोरण्ड
314.				बाडरा
315.			2. केरावाही	केरावाही
316.		9 शामपुर	1. शामपुर	शामपुर
317.			2. मारागांव	मारागांव
318.		10 काटागांव	1. काटागांव	काटागांव
319.			2. लभा	लभा
320.				दण्डवन
321.		11 बुडरा	1. बुडरा	बुडरा
322.				टेड़मुंडा
323.			2. हाड़ीगांव	हाड़ीगांव
324.				बड़गांव
325.		12 बवई	1. बवई	बवई
326.			2. छोटेसलना	छोटेसलना
327.		13 कावरा	1. कावरा	कावरा
328.			2. करमरी	करमरी
329.		14 माकड़ी	1. माकड़ी	माकड़ी
330.				भिरण्डा
331.			2. उमरगांव	उमरगांव
332.				बेलगांव
333.		15 लुभा	1. लुभा	लुभा
334.				संडसा
335.			2. सोड़सिवनी	सोड़सिवनी
336.				तितना
337.		16 उलेरा	1. उलेरा	उलेरा
338.			2. बागबेड़ा	बागबेड़ा
339.				खुड़ी
340.		17 मगेदा	1. मगेदा	मगेदा
341.				भतवा
342.			2. ओटेण्डा	ओटेण्डा
343.		18 जरण्डी	1. जरण्डी	जरण्डी
344.			2. पीढ़ापाल	पीढ़ापाल
345.				अंरगुला
346.		19 धारली	1. धारली	धारली
347.				जोंधरा
348.			2. उड़िदगांव	उड़िदगांव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
349.		20 सोड़मा	1. सोड़मा	सोड़मा
350.				बालेंगा
351.			2. इंगरा	इंगरा
352.		21 हिरापुर	1. हिरापुर	हिरापुर
353.			2. कुरलूबहार	कुरलूबहार
354.				मिरमिंडा
355.		22 तौरेंगा	1. तौरेंगा	तौरेंगा
356.			2. हिरावण्डी	हिरावण्डी
357.		23 तोरण्डी	1. तोरण्डी	तोरण्डी
358.			2. राकसबेड़ा	राकसबेड़ा
359.				राकसबेड़ा
360.				सोहंगा
361.		24 एरला	1. एरला	एरला
362.				गागड़ा
363.				गुमड़ी
364.			2. बेलोण्डी	बेलोण्डी
365.				सिवनी
366.		25 तमरावण्ड	1. तमरावण्ड	तमरावण्ड
367.				देवगांव
368.			2. करण्डी	करण्डी
369.		26 अनतपुर	1. अनतपुर	अनतपुर
370.			2. बड़ेसोहंगा	बड़ेसोहंगा
371.				छोटेसोहंगा
372.				बेड़ागांव
373.		27 बीजापुर	1. बीजापुर	बीजापुर
374.				हिरलाभाट
375.			2. अमरावती	अमरावती
376.				बड़ेअमरावती
377.				छोटेअमरावती
378.		28 बड़ेघोड़सोड़ा	1. बड़ेघोड़सोड़ा	बड़ेघोड़सोड़ा
379.				छोटेघोड़सोड़ा
380.			2. बिंजोली	बिंजोली
381.		29 बेलगांव	1. बेलगांव	बेलगांव
382.				देउरबाल
383.			2. ओण्डारगांव	ओण्डारगांव
384.				तुर्रेबेड़ा
385.				तरईबेड़ा
386.				तुमबेड़ा
387.		30 छिनारी	1. छिनारी	छिनारी
388.				नेवरा
389.			2. छतोड़ी	छतोड़ी
390.				किरमारी
		30	**60**	**100**
391.	केशकाल	1 ईरागांव	1. ईरागांव	ईरागांव
392.			2. डुण्डाबेड़मा	डुण्डाबेड़मा
393.				उमला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
394.		2 चुरेगांव	1. चुरेगांव	चुरेगांव
395.				कावागांव
396.				सवालवाही
397.			2. कलेपाल	कलेपाल
398.				पराली
399.				बुईकीजुगानार
400.		3 बिन्झे	1. बिन्झे	बिन्झे
401.			2. कानागांव	कानागांव
402.				कोरगांव
403.		4 बड़ेखौली	1. बड़ेखौली	बड़ेखौली
404.				बिटालखौली
405.				पड्डे
406.			2. तोड़ासी	तोड़ासी
407.				गद्दाड़
408.		5 करमरी	1. करमरी	करमरी
409.				बेलगांव
410.			2. हिचका	हिचका
411.				तिमड़ी
412.				कोठोड़ी
413.		6 धनोरा	1. धनोरा	धनोरा
414.		7 कर्रारमेटा	1. कर्रारमेटा	कर्रारमेटा
415.				भाटगांव
416.			2. कोरकोटी	कोरकोटी
417.				बदवर
418.				खालेबेदी
419.				चुड़ावा
420.		8 सवाला	1. सवाला	सवाला
421.			2. बनियागांव	बनियागांव
422.				सिलाटी
423.		9 कुएं	1. कुएं	कुंए
424.				भण्डारपाल
425.				मिड़दे
426.				माड़गांव
427.				कुमूड़
428.				कुदाड़वाही
429.				चेरबेड़ा
430.			2. रावबेड़ा	रावबेड़ा
431.				बेड़मामारी
432.				उपरचंदेली
433.				उपरबेदी
434.				बावनीमारी
435.				गिरगोली
436.				तुतारी
437.		10 होनहेड़	1. होनहेड़	होनहेड़
438.				कूपागोंदी
439.				घोड़झार
440.				सेन्दूरमेटा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
441.				उपरमुरमेण्ड
442.				खालेचंदेली
443.				मातेंगा
444.				उमरादाह
445.		15 अड़ेंगा	1. अड़ेंगा	अड़ेंगा
446.			2. प्रधानचेर्रा	प्रधानचेर्रा
447.				सिवनीपाल
448.				जरण्डी
449.		19 सिंगनपुर	1. सिंगनपुर	सिंगनपुर
450.			2. आंवरी	आंवरी
451.		20 निराछिन्दली	1. निराछिन्दली	निराछिन्दली
452.			2. उन्दरी	उन्दरी
453.				नारना
454.		21 सिकागांव	1. सिकागांव	सिकागांव
455.				सालेभाट
456.			2. गारावण्डी	गारावण्डी
457.		11 खालेमुरमेण्ड	1. खालेमुरमेण्ड	खालेमुरमेण्ड
458.				ढोंढेरापाल
459.				मूरनार
460.				कुकड़ादाह
461.		12 सालेभाट	1. सालेभाट	सालेभाट
462.				हरवेल
463.			2. चिपरेल	चिपरेल
464.				दादरगढ़
465.				माहुरबेड़ा
466.		13 सुरडोंगर	1. सुरडोंगर (न.पं. में	सुरडोंगर
467.			सम्मिलित)	गौरगांव
468.		14 कोहकामेटा	1. कोहकामेटा	कोहकामेटा
469.				नालाझर
470.			2. सिदावण्ड	सिदावण्ड
471.				मांझीचेरा
472.				हलिया
473.		16 जामगांव	1. जामगांव	जामगांव
474.			2. कोदोभाट	कोदोभाट
475.				ब्यालपुर
476.		17 केशकाल	1. केशकाल (न.पं. में	केशकाल
477.			सम्मिलित)	गढ़सिलियारा
478.				बोरगांव
479.		18 बटराली	1. बटराली	बटराली
480.				सरगीपाल
481.				गढ़धनोरा
482.				रांधना
483.				तुमुसकोनाड़ी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
484.		22 बेड़मा	1. बेड़मा	बेड़मा
485.				आदनबेड़ा
486.			2. तोषकापाल	तोषकापाल
487.		23 अरण्डी	1. अरण्डी	अरण्डी
488.			2. चारभाटा	चारभाटा
489.				पलोरा
490.	बहीगांव	24 खेतरपाल	1. खेतरपाल	खेतरपाल
491.			2. नयापार	नयानार
492.				हरवाकोड़ो
493.				नवागढ़
494.		25 बहीगांव	1. बहीगांव	बहीगांव
495.			2. मस्सूकोकोड़ा	मस्सूकोकोड़ा
496.		26 पीपरा	1. पीपरा	पीपरा
497.			2. खुटपदर	खुटपदर
498.		27 आंवराभाटा	1. आंवराभाटा	आंवराभाटा
499.			2. बड़ेठेमली	बड़ेठेमली
		27	**47**	**109**
500.	बड़ेराजपुर	1 कोरगांव	1. कोरगांव	कोरगांव
501.			2. बैजनपुरी	बैजनपुरी
502.				आमागुहान
503.		11 खजरावण्ड	1. खजरावण्ड	खजरावण्ड
504.			2. सोनपुर	सोनपुर
505.		15 हरवेल	1. हरवेल	हरवेल
506.			2. धामनपुरी	धामनपुरी
507.		16 बड़ेराजपुर	1. बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुर
508.		17 टेंवसा	1. टेंवसा	टेंवसा
509.			2. कलगांव	कलगांव
510.		18 छोटेराजपुर	1. छोटेराजपुर	छोटेराजपुर
511.				पाडोकी
512.			2. माड़ोकी	माड़ोकी खरगांव
513.				कलेपाल
514.		19 कोपरा	1. कोपरा	कोपरा
515.			2. छिन्दली	छिन्दली
516.				नौकाबेड़ा
517.		20 बड़बत्तर	1. बड़बत्तर	बड़बत्तर
518.			2. ढोंढरा	ढोंढरा
519.		2 कोंगेरा	1. कोंगेरा	कोंगेरा
520.			2. कोरहोबेड़ा	कोरहोबेड़ा
521.		3 विश्रामपुरी	विश्रामपुरी (न.पं. में सम्मिलित)	विश्रामपुरी (न. पं. में सम्मिलित)
522.		4 खलारी	1. खलारी	खलारी
523.			2. कोसमी	कोसमी
524.				गोविन्दपुर
525.		5 पेन्ड्रावण्ड	1. पेण्ड्रावण्ड	पेन्ड्रावण्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
526.			2. पिटेचुआ	पिटेचुआ
527.				सरगीपाल
528.		6 बाड़ागांव	1. बाड़ागांव	बाड़ागांव
529.				कुरूभाट
530.				मानिकपुरी
531.			2. मचली	मचली
532.				उड़िदगांव
533.		7 हात्मा	1. हात्मा	हात्मा
534.			2. बस्तरबुडरा	बस्तरबुडरा
535.		10 पारोण्ड	1. पारोण्ड	पारोण्ड
536.				मैनपुर
537.			2. होनावण्डी	होनावण्डी
538.		8 सलना	1. सलना	सलना
539.			2. कौंदकेरा	कौंदकेरा
540.				छोटेमालगांव
541.		9 पलना	1. पलना	पलना
542.				चिचाड़ी
543.			2. मारंगपुरी	मारंगपुरी
544.		12 लिहागांव	1. लिहागांव	लिहागांव
545.			2. आमगांव	आमगांव
546.		13 बांसकोट	1. बांसकोट	बांसकोट
547.		14 बालेंगा	1. बालेंगा	बालेंगा
548.			2. किबड़ा	किबड़ा
549.		21 तितरवण्ड	1. तितरवण्ड	तितरवण्ड
550.				हल्दा
551.			2. पीढ़ापाल	पीढ़ापाल
552.				कुल्दाडीही
553.		22 गम्हरी	1. गम्हरी	गम्हरी
554.			2. जोड़ेकेरा	जोड़ेकेरा
555.				करमरी
		22	**41**	**56**
	महायोग	**163**	**306**	**555**

कुल पटवारी हल्का — 163
कुल ग्राम पंचायत — 306
राजस्व ग्राम — 555
नगर पालिका परिषद् — 01
नगर पंचायत — 03

धनंजय देवांगन,
कलेक्टर.